



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 2012/ज्येष्ठ 2, 1934

No. 227]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 2012/JYAISTHA 2, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(पीआईटीएनडीपीएस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2012

सा.का.नि. 378(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सा.का.नि. 84(अ) के तहत दिनांक 18 फरवरी, 2010 को जारी अधिसूचना के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार उक्त धारा के प्रयोजन के लिए श्री मदन लाल मीणा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार को एतद्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान करती है।

[फा. सं. यू-11022/12/2012-पीआईटीएनडीपीएस]

नीता गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(PITNDPS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2012

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification dated 18th February, 2010 issued *vide* G.S.R. 84(E), the Central Government hereby specially empowers Shri Madan Lal Meena, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F.No. U-11022/12/2012-PITNDPS]

NITA GUPTA, Under Secy.